न्यायालय: अति० जिला कलक्टर, अनूपगढ़

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
04.09.2024	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार(भू.अ.) रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ की रिपोर्ट क्रमांक भू.अ./2024/3033 दिनांक 02.07.2024 के अनुसार आवंटी पोखरराम पुत्र भोजाराम को चक 24 एनपी में मु.नं. 56 की 24–06 बीघा भूमि जिला कलक्टर महोदय के आदेश कमांक 2929 दिनांक 27.09.1977 द्वारा आवंटन दर्ज है। आवंटी की मृत्यु हो चुकी है तथा आवंटी के वारिसान केशुराम, पृथ्वीराम पिसरान पोकरराम के नाम से उक्त भूमि खातेदारी दर्ज है। आवंटी के वारिसान के पास कृषि भूमि कब्जा काश्त है एवं आवंटी का हल्का हाजा में अन्यत्र तबादला व अन्य प्रकार से भूमि आवंटन नहीं करवाया गया है। पत्रावली में अप्रार्थी की ओर से उपस्थित उनके वारिसान केशुराम, पृथ्वीराज पिसरान पोकरराम द्वारा प्रस्तुत जबाव प्रार्थना पत्र दिनांक 22.08.2024 में अवगत करवाया गया कि शिकायतकर्ता अमीचन्द का देहान्त हो चुका है। प्रार्थना पत्र दिनांक 01.09.2024 संलग्न दस्तावेज कार्यालय ग्राम पंचायत 3 एस एस डी(मसानीवाला) पंचायत समिति श्रीविजयनगर के प्रमाण पत्र में अंकित किया गया है कि अमीचन्द पुत्र गंगाराम जाति मेघवाल निवासी 7 एल सी तहसील श्रीविजयनगर का स्वर्गवास लगभग 15–16 वर्ष पूर्व में हो चुका है। अप्रार्थी के वारिसान की ओर से प्रस्तुल जबाव प्रार्थना पत्र व कार्यालय ग्राम पंचायत 3 एस एस डी(मसानीवाला) पंचायत समिति श्रीविजयनगर के प्रमाण पत्र के आधार पर शिकायतकर्ता अमीचन्द का स्वर्गवास हो चुका है। प्रकरण काफी लम्बे समय से लम्बित चल रहा है। शिकायतकर्ता की ओर से उनके वारिस भी उपस्थित नहीं है। शिकायतकर्ता का प्रार्थना पत्र अबैट हो चुका है। अतः शिकायतकार्त का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बादतकमील जिला अभिलेखागार में जमा करवायी जावे। (ओमप्रकाश सहारण) अतिरिक्त जिला कलक्टर अनूपगढ़	

Scanned with OKEN Scanner